देशद्रोह कानून को चुनौती

प्रलिम्सि के लयि:

देशद्रोह कानून, धारा 124A

मेन्स के लयि:

देशद्रोह कानून से संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** (SC) में एक याचकिा दायर कर **देशद्रोह कानून** पर फरि से वचिार करने की मांग की गई थी।

प्रमुख बदिु:

याचकिाकर्त्ता का दृष्टकिोण:

- लगभग 60 वर्ष पुराने फैसले ने **भारतीय दंड संहति** में **देशद्रोह कानून** को बनाए रखने में मदद की।
- केदारनाथ मामले में वर्ष 1962 का फैसला, जसिने औपनविेशकि वरिासत के अवशेष, धारा **124A** (देशद्रोह) को बरकरार रखा था, ऐसे समय में दयिा गया था जब अभवि्यक्त कि स्वतंत्रता पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' (प्रतबिंधात्मक कानून से उत्पन्न प्रभाव) जैसे सद्धिांत अनसुने थे। यह फैसला ऐसे समय में आया जब मौलकि अधकिारों का दायरा और अंतर-संबंध प्रतबिंधात्मक था।
  - केदार नाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाए गए प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि अगर कानून द्वारा स्थापति सरकार को उलट दयिा जाता है तो राज्य का अस्तत्वि खतरे में पड़ जाएगा। हालाँकि यह कहा गया है कि धारा **124A** केवल उन अभवि्यक्तयिों पर लागू होगी जो या तो हसिा का इरादा रखती हैं या जनिमें हसिा कराने की प्रवृत्त है।

न्यायालय का फैसला:

- यह सरकार को एक कड़ा संदेश देता है कि नागरकिों के 'भाषण एवं अभवि्यक्त कि स्वतंत्रता' के मौलकि अधकिारों को रौंदने के लयि अधकिारयिों द्वारा देशद्रोह कानून का दुरुपयोग कयिा जा रहा है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कयिा कि न्यायालय जनता की मांग के प्रत संवेदनशील हैं, जसि तरह से कानून प्रवर्तन अधकिारी स्वतंत्र भाषण को नयिंत्रति करने और पत्रकारों, कार्यकर्त्ताओं तथा असंतुष्टों को जेल भेजने एवं उन्हें वहाँ रखने के लयि राजद्रोह कानून का उपयोग कर रहे हैं, उसकी न्यायकि समीक्षा की जानी चाहयि।
- भारतीय दंड संहति की धारा 124A का समय बीत चुका है।
- न्यायालय ने कहा, "सरकार के प्रत असंतोष" की असंवैधानकि रूप से अस्पष्ट परभिाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभवि्यक्त का अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून **अनुच्छेद 19 (1) (a)** के तहत गारंटीकृत अभवि्यक्त कि स्वतंत्रता के मौलकि अधकिार पर अनुचति प्रतबिंध है और संवैधानकि रूप से अनुमेय भाषण पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' (Chilling Effect) का कारण बनता है।

राजद्रोह कानून की पृष्ठभूम:

- राजद्रोह संबंधी कानून प्रायः 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बनाए गए थे, जब सांसदों का यह मानना था कि सरकार के प्रत केवल अच्छी राय को ही बढ़ावा दयिा जाना चाहयि, क्योंकि सरकार के प्रत नकारात्मक राय सरकार और राजशाही के लयि हानकिारक हो सकती थी।
- इस कानून को मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रटिशि इतहिासकार-राजनेता थॉमस मैकाले द्वारा तैयार कयिा गया था, लेकनि वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहति (IPC) को लागू करते समय इस प्रावधान को उसमें शामलि नहीं कयिा गया था।
- हालाँकि वर्ष 1870 में जब इस प्रकार के अपराधों से नपिटने के लयि एक कानून की आवश्यकता महसूस हुई तब सर जेम्स स्टीफन द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत कयिा गया और इसके माध्यम से भारतीय दंड संहति में धारा 124A को शामलि कयिा गया।
  - यह उस समय असंतोष की कसिी भी आवाज़ को दबाने के लयि बनाए गए कई कठोर कानूनों में से एक था।

    - अंग्रेज़ों द्वारा महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार करने और उनकी आवाज़ को दबाने के लिये भी इस कानून का प्रयोग किया गया था।

वर्तमान में राजद्रोह कानून: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत देशद्रोह एक अपराध है।

- **IPC की धारा 124A**
    - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
    - विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
- **राजद्रोह के अपराध हेतु दंड**
    - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
    - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है।
        - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।

विश्लेषण:

धारा 124A के पक्ष में तर्क:

- यह राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में उपयोगी है।
- यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाता है।
- यदि अदालत की अवमानना पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है तो सरकार की अवमानना पर भी सज़ा होनी चाहिये।
- विभिन्न राज्यों में कई ज़िले माओवादी विद्रोह और विद्रोही समूहों का सामना करते रहे हैं, वे खुले तौर पर क्रांति द्वारा राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करते हैं।
- इस पृष्ठभूमि में धारा 124A को समाप्त करने की सलाह केवल इसलिये गलत होगी क्योंकि इसे कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में गलत तरीके से लागू किया गया है।

धारा 124A के विरुद्ध तर्क:

- यह वाक् और अभिव्यक्ति की संवैधानिक रूप से गारंटीशुदा स्वतंत्रता के वैध व्यवहार पर एक बाधा है।
- सरकार की असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्त्व हैं। उन्हें देशद्रोह के रूप में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिये।
- भारतीयों पर अत्याचार करने के लिये देशद्रोह का परिचय देने वाले अंग्रेज़ों ने अपने देश में स्वयं इस कानून को समाप्त कर दिया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत इस धारा को समाप्त न करे।
- धारा 124A के तहत 'असंतोष' जैसे शब्द अस्पष्ट हैं और जाँच अधिकारियों के व्यवहार एवं कल्पनाओं के अंतर्गत अलग-अलग व्याख्याओं के अधीन हैं।
- IPC और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2019 में ऐसे प्रावधान हैं जो "सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने" या "हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने" संबंधी मामलों में दंडित करते हैं। ये राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिये पर्याप्त हैं।
- राजद्रोह कानून का राजनीतिक असंतोष से बचने के लिये एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है।
- वर्ष 1979 में भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) की पुष्टि की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों को निर्धारित करता है। हालाँकि देशद्रोह का दुरुपयोग व मनमाने ढंग से आरोप लगाना भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं है।

आगे की राह:

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। जो अभिव्यक्ति या विचार उस समय की सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है, उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिये।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये धारा 124A का दुरुपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिये। केदारनाथ मामले में दी गई कैविएट के अनुसार, कानून के तहत मुकदमा चलाकर इसके दुरुपयोग की जाँच की जा सकती है। इसे बदले हुए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत तथा आवश्यकता, आनुपातिकता और मनमानी के निरंतर विकसित होने वाले परीक्षणों के आधार पर जाँचने की आवश्यकता है।

स्रोत- द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/plea-challenges-sedition-law